



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032025-261774
CG-DL-E-20032025-261774

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1294]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2025/फाल्गुन 28, 1946

No. 1294]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2025/PHALGUNA 28, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2025

का.आ. 1310(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4746 तारीख 29/10/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में कानपुर - लखनऊ एक्सप्रेसवे NE-6 के कि.मी. 28.050 से कि.मी. 73.700 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 10 नवम्बर, 2024 "को नवभारत टाइम्स (हिन्दी में)" और हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी में)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे NE-6 के कि.मी. 28.05 से कि.मी. 73.7 (कलेक्ट्रेट ऑफिस उन्नाव) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: उन्नाव		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: उन्नाव					
गांव का नाम: जरगाँव					
1	2881	निजी	कृषि	0.324	संतोष कुमार पुत्र रामऔतार व राजरानी पत्नी रामऔतार 2881
गांव का नाम: अमरसस					
2	216	निजी	कृषि	0.024	उमेश कुमार व वीरेन्द्र कुमार पुत्रगण अमृतलाल व प्रशान्त कुमार पुत्र दिनेश कुमार व श्रीमती शीला पत्नी दिनेश कुमार 216
3	764	निजी	कृषि	0.0128	बदलू प्रसाद पुत्र रणपल, ऊदन प्रसाद पुत्र घसीटे

					प्रसाद श्रीमती मिथिलेश कुमारी पत्नी गंगा विष्णु 764
				Total	0.3608

[फा. सं. NHAI/25016/LA/2018/Notification/PIU/Lucknow/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2025

S.O. 1310(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4746 (E) Dated: 29 October 2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (4 lane/ 6 laning, etc.), maintenance, management and operation of Kanpur-Lucknow Expressway NE-6 in the stretch of land from Km. 28.050 to Km. 73.700 in the district of UNNAO in the state of UTTAR PRADESH ;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Navbharat Times (Hindi)” and “Hindustan Times (English)” both dated 10 November 2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Kanpur-Lucknow Expressway NE-6 in the stretch of land from Km. 28.050 to Km. 73.700 in the district of UNNAO in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: UNNAO		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Unnao					
Village: Jar Gaon					
1	2881	Private	Agriculture	0.324	Santosh Kumar So Ram Autar and Rajrani Wo Ram Autar 2881
Village: Amarsas					
2	216	Private	Agriculture	0.024	Umesh Kumar and Virendra Kumar So Amritlal and Prashant Kumar So Dinesh Kumar and Smt Shila Wo Dinesh Kumar 216
3	764	Private	Agriculture	0.0128	Badlu Prasad so Rappal Udan Prasad So Ghasite Prasad Smt Mithilesh Kumari Wo Ganga Vishnu 764
Total				0.3608	

[F. No. NHAI/25016/LA/2018/Notification/PIU/Lucknow/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director